



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 823) पटना मंगलवार 20 अक्टूबर 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

20 अक्टूबर 2020

सं० सी0/ए0एस0-50-57/2014/5928/जे0—“लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” की धारा-32(1) में निहित प्रावधानानुसार निम्नलिखित जिलों में पॉक्सो एक्ट के तहत गठित अनन्य विशेष न्यायालय (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VII) में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्नलिखित अपर लोक अभियोजकों को अनन्य विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट के रूप में कार्यो का संचालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र0सं0	जिला का नाम	अपर लोक अभियोजक का नाम	आवंटित अनन्य विशेष न्यायालय
1	2	3	5
1.	भागलपुर	श्री नरेश प्रसाद राम	ADJ-VII
2.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	श्री कुमार शिवशंकर सिंह	ADJ-VII
3.	गया	श्री सुनील कुमार	ADJ-VII
4.	मधुबनी	श्री मिश्रीलाल यादव	ADJ-VII
5.	मुजफ्फरपुर	श्री किशोर कुमार वर्मा	ADJ-VII
6.	नालन्दा	श्री सुशील कुमार	ADJ-VII
7.	पटना	मो० ग्यासुउद्दीन	ADJ-VII
8.	रोहतास (सासाराम)	श्री हीरा प्रताप सिंह	ADJ-VII
9.	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	श्री जयशंकर	ADJ-VII
10.	कटिहार	श्री संजीव कुमार अग्रवाल	ADJ-VII
11.	पूर्णियाँ	श्री जीवन कुमार ज्योति	ADJ-VII

2. उपर्युक्त अपर लोक अभियोजकों का कार्यकाल पॉक्सो एक्ट के तहत अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में, संबंधित जिलों में अपर लोक अभियोजक का नवीन पैनल गठन अथवा उक्त न्यायालय में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
3. इनके द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में केवल पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का संचालन किया जायेगा अन्य किसी भी मामले का संचालन नहीं किया जायेगा।
4. ये विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में अनन्य लोक अभियोजक समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 823-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>